

भाग – III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम मई, 2018

संख्या का०आ० 25/के०अ० 30/2013/धा० 52/2018.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30) की धारा 52 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय VIII के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन डिवीजन में जिला न्यायाधीश या उसके नामनिर्देशिती को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

PART – III
HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 1st May, 2018

No. S.O. 25/C.A. 30/2013/S. 52/2018.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 52 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement, 2013 (Central Act 30 of 2013) the Governor of Haryana hereby appoints the District Judge or his nominee in every session division to be the Presiding Officer for the purpose of Chapter VIII of the said Act.

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.